

**लिखित प्रतियोगिता परीक्षा-** आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी । लिखित परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे । दोनों पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे ।

(i) प्रथम प्रश्न-पत्र 100 अंकों का सामान्य हिन्दी के 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा जिसमें न्यूनतम अर्हतांक 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा । सामान्य हिन्दी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटे की होगी । सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा के निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा ।

(ii) द्वितीय प्रश्न-पत्र 200 अंकों का सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से सम्बन्धित 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा जिसके लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा ।

लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्ति के 6 गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा जिनकी पात्रता की जाँच निम्नांकित वर्णित प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी । सफल अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात में उपयुक्त रूप से कमी की जा सकेगी ।

उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जायेगी ।

**पात्रता की जाँच-** लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के श्रुतिलेखन, हिन्दी एवं अंग्रेज़ी के टंकण की जाँच के लिए निम्न परीक्षा ली जाएगी:

**(क) हिन्दी श्रुतिलेखन-** हिन्दी श्रुतिलेखन की जाँच 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक लेखापन द्वारा की जायेगी । उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट का और समय दिया जायेगा । अभ्यर्थियों को टंकण आरम्भ करने के पूर्व 2 मिनट का अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जायेगा । श्रुतिलेख के टंकण की शुद्धि निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी । श्रुतिलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिए 10 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

**(ख) टंकण की जाँच-** अभ्यर्थियों को हिन्दी एवं अंग्रेज़ी में न्यूनतम 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा । इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी टंकण में पाँच प्रतिशत से अधिक और अंग्रेज़ी टंकण में दस प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिये अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

निर्धारित 10 मिनट के समय में न्यूनतम 300 शब्दों से कम टंकित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

(ग) **कम्प्यूटर ज्ञान की जाँच-** उम्मीदवार के MS-Office (Word, Excel, Power Point) तथा Internet के व्यावहारिक ज्ञान की जाँच की जायेगी । इस जाँच में असफल अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

**मेधा सूची-** अन्तिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी । लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे । समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा अर्थात् अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे । इसके बावजूद भी यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।

लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की जानेवाली अन्तिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला अभ्यर्थियों एवं दिव्यांगजन (सभी वर्ग) के लिए न्यूनतम अर्हतांक 32 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 34 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40 प्रतिशत होगा ।

**अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-** अभ्यर्थियों का दिनांक-01.01.2020 अथवा इसके पूर्व इण्टरमीडिएट (10+2) परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को दिनांक-01.01.2020 अथवा इसके पूर्व कम्प्यूटर संचालन में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण-पत्र धारक होना अनिवार्य है ।

**अभ्यर्थियों की उम्र (दिनांक 01 जनवरी 2020 को):**

- (1) अनारक्षित (सामान्य) कोटि एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष ।
- (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष ।